10/9/22 आज राजकीय अवकाश होने से प०ावली आईन्दा दिनांक 18/10/22 को पेश हो।

18/10/22 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 3/11/22 को पेश हो।

03/11/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण के समक्ष तामिल शुदा प्राप्त। विप्रार्थीगण को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर आईन्दा दिनांक 28/11/22 को पेश हो।

28/11/22 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 02/12/22 को पेश हो।

02/12/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण को जवाब हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर आईन्दा दिनांक 12/01/23 को पेश हो।

12/01/23 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उप०। वकील प्रार्थी ने उक्त आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया प्रार्थिनी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को बताया गया था कि उक्त सम्बन्ध आवेदन में मुझ प्रार्थी को हर पेशी पर उपस्थित होना आवश्यक नही है आपकी जब भी आवश्यकता होगी तब आपको बुला लिया जायेगा जिस पर प्रार्थिनी ने अपने अधिवक्ता पर भरोसा कर लिया। वर्ष 2020 मे कोरोना महामारी के कारण सम्पूर्ण भारत भर देश मे लॉकडाउन लग गया था तथा न्यायालय में भी कोरोना महामारी के कारण पेशिया आगामी तारीखो पर दी जा रही थी। उक्त प्रकरण मे

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बाद पत्रावली तनकीयात कायम हेतु नियत थी पक्षकारान की उप. आवश्यकता नहीं है। पूर्व अधिवक्ता जो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पैरवी करते है वह दिनांक 18/03/21 को उप. नही हो सके तथा उक्त प्रकरण अदम पैरवी व अदम हाजरी में उसी दिन खारिज कर दिया गया। जिसकी जानकारी तत्समय प्रार्थीनी को नहीं हो सकी। प्रार्थीनी आज से करीबन 15 दिन पूर्व अपने अधिवक्ता से मिली और इस प्रकरण में जानकारी चाही तब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि अब वो रोड़वा पेशियो पर नहीं जाते है। उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं है तब प्रार्थीनी रोड़वा गई और नया अधिवक्ता नियुक्त कर प्रार्थीनी अपनी पत्रावली के बारे में जानकारी चाही तो प्रार्थीनी को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण दिनांक 18/03/21 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो गया है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को पुनः बरामद करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण को Restore कर पूर्व पत्रावली को पुनः बरामद करने के आदेश प्रदान करावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रकरण को प्रकरण को पुनः बरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

B[illegible]